प्रतिलिपि आदेश दिनांक 04–3–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक अपील 761–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 428/अ–21/13–14.

शिवदास आत्मज दीना गौंड
उम्र 55 वर्ष व्यवसाय कुषि
निवासी सा. खेरी वार्ड नं. 10
शहपुर तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

1– शैलेन्द्र सिंह आत्मज कृपालसिंह
उम्र 32 वर्ष व्यवसाय कुषि
सा. खैरी वार्ड नं. 10 शहपुरा
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर म.प्र.

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदकगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 761-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 428/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 29-2-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठखेड़ा प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर में भूमि सर्वे नं. 210, 279, रकबा कमशः 0.48, 175 हैक्टर कुल रकबा 2.23 हैक्टर को अनावेदक शैलेन्द्र सिंह आत्मज कृपालसिंह को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा उभयपक्ष के कथन सुनकर प्रकरण आदेश हेतु रख गया किंतु बाद में उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए विक्रय की अनुमति हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक	

R 761. I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । इस संबंध में मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्रय करने के उपरांत आई है आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास एवं कर्ज चुकाने हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । विक्रय के जो कारण बताये हैं वे उचित हैं । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 3.297 हैक्टर भूमि शेष बचती है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्न है, उनके द्वारा तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनः किसी अभिमत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । कलेक्टर किस बिंदु पर स्पष्ट अभिमत चाहते हैं, इसका कोई उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में नहीं किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि प्रकरण को पुनः अभिमत हेतु भेजने के निर्देश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम ऐंठखेड़ा प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 210, 279, रकबा क्रमशः 0.48, 175 हैक्टर कुल रकबा 2.23 हैक्टर को अनावेदक शैलेन्द्र सिंह आत्मज कृपालसिंह निवासी खैरी वार्ड नं. 10 शहपुरा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 761-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	